

“विज्ञान पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 जून 2015— ज्येष्ठ 18, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

अधिसूचना

क्रमांक एक 1-2/2015/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा पूर्व अधिसूचित नगरपालिका परिषद् भिलाई-चरौदा के स्थान पर नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का गठन निम्न अनुसूची के अनुसार करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	नगर पालिक निगम का नाम (2)	जिला (3)
1.	भिलाई-चरौदा	दुर्ग

## अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगरपालिका परिषद्, भिलाई-चरौदा की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की सीमाएं होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

क्रमांक एफ 1-2/2015/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विधान की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2015/18, दिनांक 08-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव

Raipur, the 8th June 2015

## NOTIFICATION

No. F 1-2/2015/18.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby constitute Municipal Corporation Bhilai-Charoda, in the place of Municipal Council, Bhilai-Charoda as given in the following Schedule :-

## SCHEDULE-1

S. No. (1)	Name of Municipal Corporation (2)	District (3)
1.	Bhilai-Charoda	Durg

## SCHEDULE-2

The boundries of the Municipal Corporation, Bhilai-Charoda is as below :-

The Boundries of existing Municipal Council, Bhilai-Charoda shall be the boundries of Municipal Corporation, Bhilai-Charoda.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary,